आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

(इन्द्रावती भवन ब्लॉक -2 भूतल)
नया रायपुर छत्तीसगढ़
desbslld.cg@gmail.com.

क्रमांक 4129 / 2015 / आ.सा.सं. / BSLLD नया रायपुर दिनांक 08 / 12 / 2015

प्रति,

उपसंचालक / जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी,
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय,
जिला - समस्त जिला , छत्तीसगढ़ |

विषय :- ग्राम स्तर विकास के लिए मूलभूत सांख्यिकी के सम्बन्ध में |

--------0--------

विषयान्तर्गत ग्राम स्तर विकास के लिए मूलभूत सांख्यिकी के वर्ष 2013-14 का डाटा संकलन का कार्य दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016 के मध्य तक एवं सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि का कार्य 15 फरवरी 2016 तक किया जाना है अत: इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर संचालनालय को दिनांक 14 दिसम्बर 2015 तक अनिवार्यत: प्रेषित करना सुनिश्चित करें |

उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम अनुसूची एवं निर्देश पुस्तिका का वितरण 14 दिसम्बर 2015 को आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया जायेगा |

उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यक कार्यवाही निर्देश संलग्न प्रपत्र में दिए जा रहें हैं |

संलग्न :- आवश्यक कार्यवाही निर्देश |

आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

स्थानीय स्तर विकास के लिए मूलभुत सांख्यिकी (BSLLD)
(आवश्यक कार्यवाही निर्देश)

प्रदेश में राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय नया रायपुर के तत्वावधान में 31 मार्च 2014 की स्थिति में ग्राम स्तर विकास के लिए मूलभूत सांख्यिकी के डाटा संकलन एवं डाटा प्रविष्टि का कार्य कराया जाना है | जिसके तहत ग्राम में पदस्थ ग्राम सचिवों / रोजगार सहायको द्वारा डाटा संकलन का कार्य, जिले में पदस्थ सहायक सांख्यिकी अधिकारी या विकासखंडो में पदस्थ खंड स्तर अन्वेषको या DPSO द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारियों (शासकीय) की सहायता से निरीक्षण एवं परीक्षण का कार्य किया जाना है | संलग्न अनुसूची में कुल 15 खंडो में ग्रामवार मूलभूत सांख्यिकी संग्रहण किया जाना है |

❖ उपरोक्त कार्य हेतु निम्नानुसार व्यय का प्रावधान किया गया है :-
  - ग्राम सचिवों / रोजगार सहायको द्वारा किये जाने वाले क्षेत्रीय कार्य हेतु मानदेय राशि प्रति ग्राम 300 रूपये |
  - सहायक सांख्यिकी अधिकारी / खंड स्तर अन्वेषक द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण एवं परीक्षण कार्य हेतु मानदेय राशि प्रति ग्राम 100 रूपये |
  - तेरहवे वित्त आयोग के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले डाटा प्रविष्टि हेतु मानदेय राशि प्रति ग्राम 30 रूपये |
  - प्रशिक्षण (भोजन एवं अन्य आकस्मिक व्यय) हेतु राशि प्रति विकासखंड 2000 रूपये | (प्रशिक्षण मूलतः विकासखंड में आयोजित किया जायेगा, DPSO/ASO /BLI/ TFC Staff द्वारा विकासखंड में प्रशिक्षण दिया जायेगा, वर्तमान में प्रशिक्षणकर्ता हेतु कोई मानदेय राशि का प्रावधान नहीं है)|

❖ अन्य निर्देश निम्नानुसार है :-

  - डाटा संग्रहण का कार्य, प्रदत्त ग्राम-अनुसूची में किया जावेगा, प्रत्येक ग्राम हेतु 2 अनुसूची प्रदाय की जायेगी |
  - ग्राम-अनुसूची में डाटा संकलन का कार्य, प्रदत्त निर्देश-पुस्तिका के गहन अध्ययन के पश्चात् उसमे दिए निर्देश के अनुसार ही किया जाना है |
  - अनुसूची से संबंधित जानकारी संबंधित स्रोतों से सीधे संपर्क कर अथवा विभिन्न विभागों से संबंधित खंड स्तरीय बैठको में संबंधितो से संपर्क कर एकत्रित की जावे |
  - संगृहीत की जा रही जानकारियों की सत्यता, संबंधित विभागों द्वारा निर्मित प्रतिवेदनो के अनुसार तथा स्वविवेक से सुनिश्चित की जावे |

(कृ. पृ. उ.)

अध्यक्ष

- उक्त जानकारियों के संग्रहण कार्य हेतु, सलंग्न क्षेत्रीय कर्मचारियों को अनुसूची में उल्लेखित खंड विशेष के लिए संपर्क स्रोतों - पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, ग्राम-प्रधान, चिकित्सक, पटवारी, शिक्षको इत्यादि से संपर्क करने हेतु निर्देशित किया जावे, यथा संभव यह जानकारी प्राप्त करने मात्र के लिए गाँव-गाँव भ्रमण न किय जावे , जानकारी प्राप्ति हेतु स्रोत संपर्क को ही प्राथमिकता दिया जावे |

- पूर्व वर्षों में कराये गए डाटा संकलन कार्य में अधिकांश खंडो- जैसे जन सांख्यिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रवसन आदि की जानकारी कई जिलो से अपूर्ण / निरंक प्राप्त हुई थी, अत: उक्त त्रुटी को ध्यान में रखते हुए डाटा संकलन का कार्य किया जाना सुनिश्चित करें|

- ग्राम अनुसूची में ग्राम के विवरणात्मक परिचय खंड में राज्य, जिला, तहसील, ब्लाक ग्राम पंचायत एवं गाँव के लिए **MDDS (Meta data & data standards)** कोड दर्ज किये जायेंगे | यह कोड आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय नया रायपुर द्वारा ई-मेल द्वारा प्रत्येक जिलो को प्रदान किये जायेंगे | ग्राम पंचायत के **MDDS code** में उस गाँव का **MDDS code** भरा जायेगा, जिसमे ग्राम पंचायत भवन स्थित है | जनगणना 2011 के पश्चात् नव निर्मित 9 जिलें का **MDDS code** निम्नानुसार है :-

  सूरजपुर (991), बलरामपुर (992), मुंगेली (993), बेमेतरा (994), बालोद (995), बलौदाबाजार (996), गरियाबंद (997), कोंडागांव (998), सुकमा (999) |

- ग्राम अनुसूची में **खंड-12 ग्रामीण रोजगार की स्थिति** में जानकारी 15 वर्ष एवं उससे अधिक के लिए दर्ज की जावेगी (अनुसूची में त्रुटिवश 6 वर्ष एवं उससे अधिक लिखा गया है)|

- ग्राम अनुसूची में **खंड -14 उद्योग एवं व्यवसाय** में 14.47 में पोल्ट्री फार्म तथा 14.48 में दुग्ध डेयरी जोड़कर डाटा संकलन किया जाना है |

- अनुसूची के किसी भी खंड या बिंदु की जानकारी संगृहीत करने में विशेष कठिनाई हो जिसका समाधान ग्राम / खंड / जिला स्तर पर न किया जा सकता हो तो इस सम्बन्ध में संचालनालय को पत्रों के माध्यम से अनिवार्यत: सूचित किया जावे |

आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
नया रायपुर, छत्तीसगढ़